

न्यायालय-तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैतूल (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी: अमन मलिक)

व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक-108ए / 2017

संस्थित दिनांक-22.05.2017

फाईलिंग नंबर-508 / 2017

1. रामकिशोर पिता स्व. श्री मुंशी गोंड,
उम्र-32 वर्ष, निवासी-ढोडरामोहार,
तहसील-शाहपुर, जिला-बैतूल (म.प्र.)आवेदक / वादी।

विरुद्ध

1. गरजन पिता श्री भगू गोंड,
उम्र-60 वर्ष, निवासी-ढोडरामोहार,
तहसील-शाहपुर, जिला-बैतूल (म.प्र.)
2. श्याम पिता श्री टुकडू गोंड,
उम्र-40 वर्ष, निवासी-ढोडरामोहार,
तहसील-शाहपुर, जिला-बैतूल (म.प्र.)
3. म.प्र. शासन,
द्वारा-कलेक्टर बैतूल,
तह.जिला बैतूल(म.प्र.)।अनावेदकगण / प्रतिवादीगण।

वादी द्वारा श्री योगेश राठौर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 द्वारा श्री अनुराग गौतम अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्र. 3 पूर्व से एकपक्षीय।

आदेश

(आज दिनांक-09.10.17 को पारित किया गया)

1. इस आदेश द्वारा वादी के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. (अस्थाई निषेधाज्ञा) (आई.ए.नं.-1) का निराकरण किया जा रहा है।

2. वादी /आवेदक ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि वह मौजा ढोडरामोहार तहसील शाहपुर जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नंबर 272/2 रकबा 0.162 हेक्टेयर का भूमि स्वामी होकर काबिज काश्तकार है। आवेदक ने अनावेदक क्रमांक 2 श्याम को उक्त वादग्रस्त भूमि को बेकब्जा कराकर निर्माण कार्य प्लीन्थ खोदने से मना किया था एवं इसी प्रकार अनावेदक क्रमांक 1 गरजन ने बखरनी चलाने से मना किया था किंतु उनके द्वारा यह धमकी दी गयी कि बरसात की फसल को वह अवश्य बोयेंगे। अनावेदक क्रमांक 2 श्याम उनकी भूमि पर निर्माण कार्य कर रहा है। अनावेदक आवेदक को उसकी भूमि से बेकब्जा करने हेतु तत्पर है। यदि आवेदक की भूमि पर वह कब्जे कर लेते हैं तो उन्हें बहुवाद में पड़ने से अपूर्णनीय क्षति होगी। इस प्रकार आवेदक का वाद प्रथम दृष्ट्या ही सुदृढ़ है, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी आवेदक के पक्ष में है। अतः आवेदक के पक्ष में तथा अनावेदकगण के विरुद्ध इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 गरजन आवेदक की भूमि पर स्वयं या रिश्तेदार या मजदूर से फसल ना बोये तथा अनावेदक क्रमांक 2 श्याम कृषि भूमि पर स्वयं या मजदूर लगाकर निर्माण कार्य आदि ना करे।

3. अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक ने पेश सीमांकन दस्तावेज में कहीं भी अनावेदकगण को सूचना नहीं है और ना ही अनावेदकगण को बताया गया है बल्कि अनावेदकगण की भूमि से रास्ता ढोडरामोहाड से भौरा रोड है उसके बाद आवेदक का मकान बाड़ी एवं अन्य के मकान है जबकि सीमांकन 1 वर्ष पहले का है। सीमांकन रिपोर्ट में संपूर्ण रकबे पर कब्जा करना बताया है और आवेदन पत्र एवं दावे में निर्माण कार्य प्लीन्थ खोदना का अभिवचन किया है। आवेदक द्वारा यह प्रकट नहीं किया गया है कि कितने भाग पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा राजस्व अधिकारी से मिलकर मिथ्या दस्तावेज पेश किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद मात्र आवेदकगण को परेशान करने हेतु पेश किया है। आवेदक का वाद प्रथम दृष्ट्या नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4. अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु की विरचना की जा रही है:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आवेदक के पक्ष में है।
2. क्या अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत आवेदक के पक्ष में है।
3. क्या सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है।

—:प्रथम दृष्ट्या प्रकरण:—

5. अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये आवेदक का प्रथम दृष्ट्या मामला ऐसा

स्थापित होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो साक्ष्य लेकर ही तय हो सकता है और उसमें आवेदक के विजयी होने की प्रबल संभावना हो।

6. आवेदक द्वारा यह प्रकट किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। इस संबंध में आवेदक द्वारा खसरा वर्ष 2015-2016 का पेश किया है जिसके अनुसार वह उक्त भूमि के भू-स्वामी एवं कब्जेदार होना दर्शित है।

7. आवेदक द्वारा यह प्रकट किया गया है कि अनावेदक क्रमांक 1 गरजन उनके खेत पर बखरनी करता है और उनके द्वारा धमकी दी गयी है कि बरसात की फसल को वह अवश्य बोनी करेंगे। आवेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में राजस्व प्रकरण क्रमांक 56अ वर्ष 2015-16 में कराये गये सीमांकन प्रतिवेदन, पंचनामा, नक्शा पेश किया है जिसमें आवेदक की वादग्रस्त भूमि की चतुरसीमा के भीतर अनावेदक क्रमांक 1 गरजन का आवेदक की भूमि पर अवैध आधिपत्य होना पाया गया था। जहाँ तक आवेदक द्वारा प्रकट किया गया है कि अनावेदक क्रमांक 1 उनके आधिपत्य में बखरनी चलाकर हस्तक्षेप करने हेतु आतुर है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि स्वयं आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त सीमांकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 का वादग्रस्त भूमि के भीतर आधिपत्य प्रतिवेदन दिनांक 15.05.16 से लगभग तीन वर्ष पूर्व से है, यद्यपि वह अवैधानिक आधिपत्य होना बताया गया है किंतु ऐसी स्थिति में जब अनावेदक क्रमांक 1 पहले ही आधिपत्य में है तो अनावेदक क्रमांक 1 को आवेदक के आधिपत्य में हस्तक्षेप किये जाने से निषेधित किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा अपने वाद में अनावेदक क्रमांक 1 से अपना आधिपत्य प्राप्त करने के संबंध में कोई अनुतोष प्रार्थित नहीं किया है।

8. आवेदक द्वारा यह प्रकट किया गया है कि अनावेदक क्रमांक 2 श्याम उनकी भूमि पर निर्माण कर रहा है और उनके द्वारा निर्माण कार्य प्लीन्थ खोदने से मना किया गया था, किंतु वह नहीं माने। आवेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में दस्तावेज एक फोटोग्राफ पेश की गयी है, किंतु उक्त फोटोग्राफ के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त फोटोग्राफ कब की है, किस स्थान की है और कहाँ की है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह दर्शित हो सके अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा उनके स्वामित्व की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

9. उपरोक्त परिस्थितियों एवं अभिलेख पर विद्यमान दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आवेदक के पक्ष में दर्शित नहीं होता है। अतः आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या वाद नहीं माना जा सकता।

10. चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला आवेदक के पक्ष में नहीं है, ऐसी स्थिति

में सुविधा के संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति आवेदक को अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 की अपेक्षा अधिक होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

11. उपरोक्त परिस्थितियों में जबकि आवेदक के पक्ष में न तो प्रथम दृष्ट्या वाद है, न ही निषेधाज्ञा देने से उसे अपूर्णीय क्षति होगी तथा सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में नहीं है, इस प्रकरण में उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। अतः आवेदक /वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. (अस्थाई निषेधाज्ञा) (आई.ए.नं.-1)) **निरस्त** किया जाता है।

मेरे द्वारा आज दिनांक को
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।
किया गया।

(अमन मलिक)

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
बैतूल म०प्र०